कार्यालय थानाधिकारी, पुलिस थाना वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक जरिये ई–मेल दिनांक / 31.12.2020

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय
जिला उदयपुर (राज.)

विशयः–प्रकरण संख्या 69 / 2019 दिनांक 15.05.2019 धारा 8 / 15 एनडीपीएस एक्ट थाना खैरोदामें तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– राजस्थान सम्पर्क पोर्टल परिवाद क्रमांक 12200679157481 **परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार के सम्बंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विशय एवं प्रसंग में निवेदन है कि दिनांक 15.05.2019 को श्री संजय सिंह आरपीएस (प्रशिक्षु), वृत्ताधिकारी, वृत्त वल्लभनगर द्वारा पर्चा कायमी इस आशय का किया गया कि आज दिनांक 15.05.19 को समय 07.30 ए.एम. पर मन संजय सिंह चम्पावत आरपीएस (प्रोबेशनर) वृत्त वल्लभनगर मय जाप्ता कानि. राजेश टेलर नं. 1548 सरकारी वाहन व चालक मुकेश जाट नं. 1898 के श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय उदयपुर द्वारा चलाये जा रहे मादक पदार्थो की धरपकड अभियान के तहत नाकाबंदी करने नाकाबन्दी पॉईन्ट भटेवर चौराया एन.एच. 76 भटेवर के लिये रवाना हो समय करीब 08.00 ए.एम. पर नाकाबंदी पोईन्ट पर पहुचां। थाना खेरोदा से तलब किया गया जाप्ता सउनि श्री चतराराम, कानि. रामानन्द नं. 1306, कानि. ललित नं. 2322, कानि. मनोज नं. 1113, कानि. भवानीसिंह नं. 1470 मय सरकारी वाहन व चालक लीलाराम नं. 2751 के उक्त नाकाबन्दी पोईन्ट पर पहूॅचा एवं नाकाबन्दी शुरु की। दौराने नाकाबंदी समय तकरीबन 8.15 ए.एम. पर मंगलवाड की तरफ से एक बिना नम्बरी स्कोर्पियो आती हुयी नजर आयी। जिसे मैंने हाथ का इशारा कर रूकवाने लगा तो स्र्कोपियो के चालक ने गाडी नही रोक तेजगति से चलाते हुये नाकाबंदी तोडते हुये भागने लगा। जिस पर मन् आर.पी.एस. प्रोबेशनर को शंका होने पर उक्त स्कोर्पियो गाडी का सरकारी वाहन मय जाप्ता पुलिस के पीछा किया व डण्डे से उक्त स्र्कोपियो को रोकने का प्रयास किया गया तो डण्डा लगने से तथा स्कोर्पियो तेज गति मे हो गड्डे मे गिरने से उसके कांच डेमेज हो गये। इसी दौरान उक्त गाडी चालक द्वारा सिंघानिया युनिर्वसिटी के सामने स्कोर्पियो को रोककर चालक व उसके साथ दो और व्यक्ति तीनो गाडी से उतरकर भागने लगे। मन् आर.पी.एस. मय जाप्ता ने पीछा किया तो चालक व उसके साथ एक व्यक्ति रोड के साइड मे खेतो मे उतरकर झाडियो मे औझल हो गये, जो काफी प्रयास के बाद भी नजर नही आये, मगर उनके एक साथी को पकड लिया व नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम श्री श्यामलाल पिता नारायण जी जाति गुर्जर उम्र 35 साल पेशा खेती निवासी नलवाई थाना बडी सादडी जिला चित्तौडगढ होना बताया तथा भागने वालो के बारे मे पुछा तो चालक का नाम पता मालुम नही होना तथा उसके साथ भागने वाले एक और व्यक्ति का नाम उमेश पिता जसवन्ताराम जाट निवासी बुडियो का तालाब लीलसर थाना चोहटन जिला बाडमेर होना बताया। उक्त श्यामलाल को स्कोर्पियो गाडी के पास लेकर आये। उक्त बिना नम्बरी स्र्कोपियो बरंग सिल्वर महिन्द्र कम्पनी की मॉडल एस 7 माइक्रो हाईब्रिड हो गाडी के आगे का कांच, बांयी तरफ से सभी कांच, पीछे का कांच तथा दायी तरफ चालक के गेट का कांच टुटा हुआ था। उक्त वाहन के अन्दर चालक व उसके पास वाली सीट के पीछे की तरफ प्लास्टिक के कट्टे भरे हुए पडे थे। उक्त प्लास्टिक कट्टो मे व गाडी में कोई अवैधानिक वस्तु होने की पुर्ण संभावना होने से तलाशी की कार्यवाही हेतु मौतबिरान की आवश्यकता होने से हमराही जाब्ते में से कानि. ललित न 2322 से स्वतन्त्र मौतबीरान की तलबी कराई गई। कानि सुरेश नं. 1395 पुलिस चौकी भटेवर को जरीये टेलिफोन पांबद किया की थाने से अनुसंधान सामग्री सिल चपड़ी, इंलेक्ट्रोनिक कांटा, लेपटोप, प्रिन्टर, यू.पी.एस, सफेद कपडा सुई धागा इत्यादि लेकर घटनास्थल सिंघानिया युनिर्वसिटी पर उपस्थित हो। कानि. ललित नं. 2322 ने मौतबीर के रूप में हमराह श्री राधाकिशन पिता रामचन्द्र जी जाति जणवा उम्र 31 साल निवासी अमरपुरा थाना खेरोदा व श्री संजय पिता गंगाराम जी जाति जणवा उम्र 33 साल निवासी अमरपुरा थाना खेरोदा को तलब कर मौके पर लेकर आया। जिनको मन् संजय सिंह चम्पावत आरपीएस (प्रोबेशनर) वृत्त वल्लभनगर द्वारा उक्त बात की जानकारी देते हुये मौतबीर बनने हेतु पृथक–पृथक नोटिस दे लिखित में मौतबीर बनने हेतु सहमति प्राप्त की। कानि सुरेश नं. 1395 मय अनुसंधान सामग्री लेकर उपस्थित आया। तत्पश्चात् मन् संजय सिंह चम्पावत आरपीएस (प्रोबेशनर) वृत्त वल्लभनगर ने श्यामलाल को स्थिति से अवगत करा धारा 50(1) एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत स्वयं की एंव बिना नम्बरी स्कोर्पियो गाडी की तलाशी हेतु विकल्प के लिये नोटिस दिया जाकर कानुनी अधिकार से अवगत कराया कि आप अपनी जामा तलाशी एंव स्कोर्पियो की तलाशी किसी निकटतम मजिस्ट्रेट या अन्य राजपत्रित अधिकारी से लिवाना चाहे, तो मैं उनको यहॉ लाने की व्यवस्था कर सकता हू। यदि तलाशी मे कोई निषिद्ध वस्तु नही मिलती है तो उनके द्वारा आपको उन्मोचित किया जा सकता है। यह आपका कानुनी अधिकार है। जिस पर श्यामलाल ने अपनी तथा स्र्कोपियो की तलाशी मन् संजय सिंह चम्पावत आरपीएस (प्रोबेशनर) वृत्त वल्लभनगर से लिवाने की लिखित में सहमती दी। तत्पश्चात मन् संजय सिह ने अपनी जामा तलाशी मौतबीरान से लिवायी एंव मौतबिरान की तलाशी मन् संजय सिंह द्वारा ली गई तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नही मिली। मौके पर मौतबीरान व जाप्ता के समक्ष श्यामलाल की जामा तलाशी ली गई तो उसके पहने हुये पेंट के दाहिनी जेब में उसकी तलाशी से पुर्व मेरे द्वारा कार्यवाही के प्रयोजनार्थ दिया गया विकल्प पत्र नोटिस की मूल प्रति प्राप्तहुई, इसके अलावा श्यामलाल की जामा तलाशी में कोई संदिग्ध वस्तु प्राप्त नही हुई। उसके बाद बिना नम्बरी वाहन स्र्कोपियो की तलाशी ली तो वाहन के पीछे की सीटो के स्थान पर 18 प्लास्टिक कट्टे भरे हुये हो, प्लास्टिक के सभी कट्टो का मुंह खोलकर अन्दर भरे सामान को मन् संजय सिंह चम्पावत आरपीएस ने सुंघा व परखा तो अफीम डौडा पोस्त होना पाया एवं जाब्ता पुलिस व मौतबीरान को भी सुंघाया व परखाया तो प्लास्टिक के सभी 18 कट्टो में अफीम डोडा पोस्त होना पाया गया। उक्त डोडा पोस्त के बारें श्यामलाल से पुछा गया तो बताया कि उक्त गाडी उमेश पिता जसवन्ताराम जाट निवासी बुडियो का तालाब लीलसर थाना चोहटन जिला बाडमेर

व उसका चालक लेकर आये थे। इस गाडी मे मेरे भाणेज श्री अशोक पिता राजु जी गुर्जर निवासी शोभी थाना छोटी सादडी जिला प्रतापगढ ने नारायणी गांव के पास से माल भरवाया था। अशोक गुर्जर, उसके साथी श्री अंकित पिता पेमा जी जाति मोगिया निवासी गोमाणा थाना छोटी सादडी जिला प्रतापगढ दोनो एक स्विफ्ट कार से हमारी गाडी की स्कॉटिंग करते हुये आगे निकल गये है। स्विफ्ट कार के नम्बर मुझे याद नही है। उक्त माल उमेश जाट उसके घर लेकर जा रहा था। श्यामलाल को उक्त कट्टो मे भरे डोडा पोस्त को अपने कब्जें में रखने संबन्धित किसी वैध दस्तावेज के बारें में पुछा तो नही होना बताया। श्यामलाल व उसके साथियो द्वारा उक्त गाडी में अवैध अफीम डोडा पोस्त लेकर परिवहन करना व अपने कब्जे मे रखना धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध घटित होना पाया जाने से उक्त अवैध अफीम डोडा पोस्त को कब्जे पुलिस लेकर बिना नम्बरी स्कोर्पियोके अन्दर रखे हुए प्लास्टिक के 18 कट्टो को बाहर निकाल कर इलेक्ट्रीक कांटे से वजन किया गया तो नम्बर (1) प्लास्टिक का कट्टा रंग काला हो जिसमें अवैध अफीम का डोडा पोस्त का वजन कट्टे सहित 23 किलो 900 ग्राम, नम्बर (02) प्लास्टिक का कट्टा रंग काला हो जिसमें अवैध अफीम डोडा पोस्त का वजन कट्टे सहित किया तो 17 किलो 800 ग्राम, नम्बर (03) प्लास्टिक का कट्टा रंग काला हो अवैध अफीम डोडा पोस्त का वजन कट्टे सहित किया गया तो 18 किलो 200 ग्राम, नम्बर (04) प्लास्टिक का कट्टा रंग काला हो जिसमें अवैध अफीम डोडा पोस्त का वजन कट्टे सहित किया जो वजन 17 किलो 400 ग्राम, (05) प्लास्टिक का कट्टा रंग काला हो जिसमें अवैध अफीम डोडा पोस्त का वजन कट्टे सहित किया जो वजन 20 किलो 900 ग्राम, (06) प्लास्टिक का कट्टा रंग काला हो जिसमें अवैध अफीम डोडा पोस्त का वजन कट्टे सहित किया जो वजन 20 किलो 200 ग्राम, (07) प्लास्टिक का कट्टा रंग काला हो जिसमें अवैध अफीम डोडा पोस्त का वजन कट्टे सहित किया जो वजन 17 किलो 600 ग्राम, (08) प्लास्टिक का कट्टा रंग काला हो जिसमें अवैध अफीम डोडा पोस्त का वजन कट्टे सहित किया जो वजन 21 किलो 400 ग्राम, (09) प्लास्टिक का कट्टा रंग काला हो जिसमें अवैध अफीम डोडा पोस्त का वजन कट्टे सहित किया जो वजन 18 किलो 300 ग्राम, (10) प्लास्टिक का कट्टा रंग काला हो जिसमें अवैध अफीम डोडा पोस्त का वजन कट्टे सहित किया जो वजन 22 किलो 300 ग्राम, (11) प्लास्टिक का कट्टा रंग काला हो जिसमें अवैध अफीम डोडा पोस्त का वजन कट्टे सहित किया जो वजन 20 किलो 200 ग्राम, (12) प्लास्टिक का कट्टा रंग काला हो जिसमें अवैध अफीम डोडा पोस्त का वजन कट्टे सहित किया जो वजन 18 किलो 400 ग्राम, (13) प्लास्टिक का कट्टा रंग काला हो जिसमें अवैध अफीम डोडा पोस्त का वजन कट्टे सहित किया जो वजन 19 किलो 800 ग्राम, (14) प्लास्टिक का कट्टा रंग काला हो जिसमें अवैध अफीम डोडा पोस्त का वजन कट्टे सहित किया जो वजन 20 किलो 300 ग्राम, (15) प्लास्टिक का कट्टा रंग काला हो जिसमें अवैध अफीम डोडा पोस्त का वजन कट्टे सहित किया जो वजन 20 किलो 300 ग्राम, (16) प्लास्टिक का कट्टा रंग काला हो जिसमें अवैध अफीम डोडा पोस्त का वजन कट्टे सहित किया जो वजन 29 किलो 500 ग्राम, (17) प्लास्टिक का सफेद रंग का युरिया खाद का कट्टा हो जिसमें अवैध अफीम डोडा पोस्त का वजन कट्टे सहित किया जो वजन 10 किलोग्राम (18) प्लास्टिक का सफेद रंग का मकई के पाउडर का कट्टा हो जिसमें अवैध अफीम डोडा पोस्त का वजन कट्टे सहित किया जो वजन 17 किलोग्राम किलो 100 ग्राम हो सभी कट्टो का कट्टो सहित कुल वजन 353 किलो 600 ग्राम होना पाया गया। जिस पर प्लास्टिक के 18 कट्टो को नम्बर 1 से 18 तक अंकित किया गया। सभी प्लास्टिक के कट्टो मे अफीम डोडा पोस्त भरा हुआ होने से प्लास्टिक के 18 कट्टो प्रत्येक में से 200–200 ग्राम अफीम डोडा पोस्त निकाल कर कुल 3 किलो 600 ग्राम अफिम डोडा पोस्त को मिश्रित किया जाकर सफेद कपडे की दो थैलियों में प्रत्येक थैली में 1.800– 1.800 कि.ग्रा. के दो सेम्पल निकाले गये। जिसमें एक नमुना सेम्पल व दुसरा कन्ट्रोल सेम्पल अंकित कर नमुना सेम्पल को मार्क A1 व कन्ट्रोल सेम्पल को मार्क A2 दिया गया एवं सेम्पल निकालने के पश्चात् प्लास्टिक के 18 कट्टो में शेष बचा अफीम डोडा चुरा यथावत रहने दिया जाकर कट्टो के मुंह बन्द किये जाकर सिलचिट कर मार्क क्रमशः B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B11,B12,B13,B14,B15,B16,B17,B18 दिया गया। वाहन की तलाशी के दौरान उक्त अवैध अफीम डोडा पोस्त के अलावा और कोई वस्तु नही मिली। अभियुक्त श्यामलाल के पेन्ट की दाहिनी जेब मे मिला तलाशी बाबत विकल्प पत्र को वजह सबुत एक खाकी लिफाफें में रखकर सिलचिट कर मार्क C अंकित किया गया। बिना नम्बरी वाहन स्कोंपियो अवैध डोडा पोस्त परिवहन के काम में लिये जाने से वजह सबूत जब्त की गई। अभियुक्त श्यामलाल द्वारा अवैध डोडा पोस्त अपने कब्जे मे रखना एंव परिवहन करना अपराध धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत अजमानतीय अपराध होने से अभियुक्त श्यामलाल को धारा 52(1) एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस दिया जाकर गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाकर जरियें फर्द गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी मे प्राप्त गिरफ्तारी के कारणो बाबत फर्द नोटिस की प्रति व एक काले कलर का एम–टेक कम्पनी का मोबाईल कब्जे पुलिस लिया गया। मौके पर जब्ती के दौरान मन संजय सिंह चम्पावत आरपीएस द्वारा उपयोग में ली गई थाना खेरोदा की ब्रास शील की फर्द नमुना शील मूर्तिब की गई। उक्त सील सरकारी सील होने से नष्ट नही की गई। मौके पर मुर्तिब शुदा फर्दात एवं पर्चा कायमी साथ लाये लेपटोप से टाईप की जाकर प्रिन्टर से प्रिन्ट आउट कर निकाली गई व मौतबिरान राधाकिशन व संजय के हस्ताक्षर कराये जाकर रूखसत किये गये। मौके पर पर्चा कायमी मुर्तिब किया गया। थाना खैरोदा पर पहुॅच पर्चा कायमी मय फर्दात प्रकरण दर्ज कराने हेतु एसएचओ साहब को पेश किये जिनके द्वारा पर्चा कायमी पर प्रकरण संख्या 69/19 धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दर्ज रजिस्टर कर अनुसंधान उच्चाधिकारियो के निर्देशानुसार श्री महीपाल सिंह पु.नि., तत्कालीन थानाधिकारी, थाना वल्लभनगर के जिम्में किया गया। फर्दात पर लाल स्याही से प्रकरण संख्या अंकित किये जाकर अभियुक्त श्यामलाल को बाद जामा तलाशी दाखिल हवालात करवाया गया। सिलचिटशुदा आर्टीकल मेरे द्वारा धारा 55 एनडीपीएस एक्ट के मुताबीक रिसील कर मालखाने में इन्द्राज करने एवं सुरक्षित मालखाने में रखने हेतु एच.एम. मालखाना को सुपुर्द किये गये एवं जब्तशुदा गाड़ी भी एच.एम. मालखाना को सुपुर्द की गई।

दौराने अनुसंधान मुझ अनुसंधान अधिकारी द्वारा बयान प्रार्थी एवं गवाहान के लेखबद्व किये जाकर बाद निरीक्षण घटनास्थल फर्द नक्शा मौका मुर्तिब किया गया। अभियुक्त श्यामलाल गुर्जर से जब्तशुदा अवैध डोडा

पोस्त के बारे में गहनता से पुछताछ एवं अनुसंधान किया गया। जैर हिरासत पुलिस अभियुक्त श्यामलाल गुर्जर ने अपनी स्वैच्छिक फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के जब्तशुदा बिना नम्बरी स्कार्पियो गाड़ी में बैठने के स्थान, वांछित अभियुक्त अशोक पिता राजु उर्फ राजमल गुर्जर निवासी सूबी के रिहायशी मकान व वांछित अभियुक्त अंकित पिता पेमा उर्फ प्रेमचन्द मोंगीया (बावरी), निवासी गोमाणा, थाना छोटी सादड़ी, जिला चित्तोडगढ़ के होटल की तस्दीक कराई जिनका पृथक–पृथक फर्द तस्दीक मौका मुर्तिब कर शामील पत्रावली किया गया एवं वांछित अभियुक्तो की जैर हिरासत पुलिस अभियुक्त श्यामलाल गुर्जर की निशादेही से तलाश की गई। अभियुक्त श्यामलाल गुर्जर से प्रकरण में जब्तशुदा अवैध डोडा पोस्त के सम्बन्ध में गहनता से अनुसंधान किया जाकर बाद अनुसंधान माननीय न्यायालय में पेश कर जेसी कराया गया। प्रकरण के जब्तशुदा सिलचिट आर्टीकल विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर में थानाधिकारी थाना खैरोदा द्वारा जमा कराये जाकर रसीद पेश की जो शामील पत्रावली की गई। धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना प्रति उच्चाधिकारियो को पेश करने की रसीद प्रति शामील पत्रावली की जाकर धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना उच्चाधिकारियों को पेश करने व एफएसएल जमा कराने वाले विशेश वाहक कानि. पूरण मल के कथन लेखबद्व किये जाकर शामील पत्रावली किये गये। रोजमनामचा आम की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर शामील पत्रावली की गई। इस प्रकरण में जब्तशुदा सिलचिट अवैध डोडा पोस्त के भरे हुये कट्टो की धारा 52ए एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानो के अनुसार ईन्वेन्टरी कार्यवाही करवाई गई। वाछिंत अभियुक्तों का सजायाबी रिकॉर्ड प्राप्त कर तला ा की गई। अभियुक्त भयामलाल गुर्जर का के विरुद्व चार्जशीट संख्या 116/19 दिनांक 05.11.2019 को कता की जाकर न्यायालय मे पे ा की गई।

तत्प पश्चात अभियुक्त उमेश बैनीवाल को उपकारागृह बाली जिला पाली से प्राप्त कर दिनांक 3.12.2019 को बाद पूछताछ गिरफतार किया जाकर अनुसन्धान किया गया। अभियुक्त उमेश बैनीवाल ने अपनी फर्द सुचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम एवं उक्त फर्द सुचना के आधार पर मुर्तिबशुदा अवैध डोडा चुरा भरने के स्थान व स्कॉर्पियो गाडी डोडा चुरा से भरी हुई छोडकर भागने के स्थान का तस्दीक मौका मुर्तिब किया गया जिसमे अभियुक्त उमेश बैनीवाल ने स्कॉर्पियो गाडी का चालक तेजाराम रेबारी को होना अकिंत करवाया गया बाद अनुसन्धान अभियुक्त उमेश बैनीवेल को न्यायालय मे पेश कर जेसी करवाया जाकर चालान संख्या 116/19ए दिनांक 08.05.2020 मे कता कर न्यायालय मे पे ा की गई। अभियुक्त तेजाराम रेबारी, अ ोक गुर्जर, अकिंत मोगीया के खिलाफ धारा 173(8) जा.फौ. का अनुसन्धान जारी रखा गया।

अनुसन्धान के दौरान अभियुक्त तेजाराम रेबारी को दिनांक 07.08.2020 को बाद पुछताछ गिरफतार किया जाकर अनुसन्धान किया गया। अभियुक्त तेजाराम की फर्द सुचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार स्कॉर्पियों गाडी अवैध डोरा चुरा भरने के स्थान पर गाडी छोडकर भागने के स्थान का मौका तस्दीक किया गया। अभियुक्त तेजाराम रेबारी को बाद अनुसन्धान दिनांक 10.08.2020 को न्यायालय मे पे ा कर जेसी करवाया गया।

तत्प पश्चात श्रीमान महानिदेशक पुलिस सीआईडी(अपराध भााखा) राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक स–9(10) अप/अन्वे./उदय/20/960–65 दिनांक 24.09.2020 द्वारा प्रकरण का अनुसन्धान श्रीमती भीला फोगावट अति. पुलिस अधीक्षक सीआईडी(सीबी)राजस्थान जयपुर के जिम्मे किया गया।

बाद अनुसंधान के प्रकरण की मूल अनुसंधान पत्रावली श्रीमान महानिदेशक पुलिस सीआईडी(अपराध भााखा)राज.जयपुर के पत्रांक स–9()अप/अन्वे./उदय/उदय–रेन्ज/2019/1195 दिनांक 24.11.2020 एवं श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर कार्यालय आदेश क्रमांक प–6()उदय–अप/परि./प्रथम/20/8602–07 दिनांक 30.11.2020 से दिनांक 01.12.2020 को प्राप्त हुई। जिस पर प्रकरण पत्रावली में अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसन्धान के दौरान तेजाराम देवासी के विरूद्ध प्रर्याप्त साक्ष्य का अभाव होने से धारा 169 सीआरपीसी के तहत माननीय न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश करते हुए भोश आरोपीयो के विरूद्ध धारा 173(8) सीआरपीसी मे लम्बित अनुसन्धान को शीघ्र पुर्ण कर निस्तारण सुनिश्चित करना अकिंत किया गया। जिस पर प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्व तेजाराम देवासी को धारा 169 सीआरपीसी के तहत रिहाई हेतु दिनांक 03.12.2020 को माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय उदयपुर में प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा तेजाराम देवासी को रिहा किया गया है।

प्रकरण के भोश वाछिंत अभियुक्तगण अशोक पिता राजू गुर्जर निवासी सूबी थाना छोटी सादडी जिला प्रतापगढ व अकिंत पिता पेमा उर्फ प्रेमचन्द मोंगीया जाति बावरी निवासी गोमाणा थाना छोटी सादडी जिला प्रतापगढकी तलाश एवं गिरफतारी हेतू दिनांक 03.12.020 को माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय उदयपुर मे प्रार्थना पत्र पेश कर हर दोनो अभियुक्तो के धारा 37 पुलिस एक्ट के तहत गिरफतारी वारण्ट जारी करवाये गये है। हर दोनो अभियुक्तो की तलाश जारी हो प्रकरण का अनुसन्धान जारी है।

अतः प्रकरण में चाही गई तथ्यात्मक रिपोर्ट श्रीमान की सेवामे अवलोकनार्थ प्रेशित है।

सादर! भवदीय

(भरत योगी पुनि.)
थानाधिकारी
वल्लभनगर,(उदयपुर)